**मध्यप्रदेश शासन**

**श्रम विभाग,**

**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक.1054/1518/2020/ए-16 भोपाल, दिनांक 26.11.2020

प्रति,

1 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2 समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4 समस्त आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश
5 समस्त सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधिकारी / सहायक श्रम अधिकारी, मध्यप्रदेश
6 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल)योजना, 2018 में अपील एवं विंगितयों (त्रुटियों) के निराकरण के संबंध में पोर्टल पर व्यवस्था बावत।

संदर्भ:- म.प्र.शासन श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 658/798/2020/ए-16 भोपाल दिनांक 18.08.2020 तथा मण्डल का पत्र क्रमांक 2180 दिनांक 27.03.2019

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रथम संदर्भित पत्र के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अपील एवं विसंगतियों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी नामांकित किया गया है इसी अनुक्रम में पोर्टल पर व्यवस्था की गई है, फिर भी बड़ी संख्या में विसंगति निराकरण / त्रुटि सुधार के प्रकरण मण्डल /विभाग को प्रेषित किये जा रहे हैं। प्रावधान यह है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर, सक्षम अनुमति पश्चात प्रकरणों में विसंगति/ त्रुटि सुधार स्थानीय स्तर पर कराये जाये, पोर्टल पर की गई व्यवस्था निम्नानुसार है :-

1.1 संबल पोर्टल पर जिला कलेक्टर को दिये गये लॉगइन आई डी तथा पासवर्ड पर यह सुविधा उपलब्ध है। (पूर्व में मृत्यु उपरांत अपात्र घोषित श्रमिकों के सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया लॉगइन आईडी पासवर्ड ही इस हेतु प्रभावशील होगा)

1.2 जिला कलेक्टर के लॉगइन पर एक नया आप्शन जोडा गया है "हितग्राही के आवेदन में संशोधन हेतु ई-भुगतान आवेदन हटाये " (देखे अनुलग्नक-1)

1.3 उक्त आईकॉन को Clickकरने पर जिस हितग्राही के आवेदन में त्रुटि / विसंगति हो,उस हितग्राही का संबल आई डी दर्ज करना होगा। (देखे अनुलग्नक-2)

1.4 जिस हितग्राही का संबल आई डी दर्ज किया जावेगा, उससे संबंधित आवेदन / ईपीओ निरस्त किया जा सकेगा। जिस बावत् अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित नोटशीट अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (देखे अनुलग्नक-3)

1.5 उक्त प्रक्रिया करने से हितग्राही का आवेदन (जिसमें विसंगति / त्रुटि है) पोर्टल से डीलीट हो जायेगा, तथा पोर्टल पर Afresh आवेदन दर्ज किया जाना होगा।

निरंतर....1/3

2. इस प्रक्रिया से सामान्यत: आने वाली निम्न समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा।

2.1 जिस हितग्राही को हितलाभ प्रदान नहीं किया जाना था, त्रुटिवश उनका आवेदन दर्ज कर दिया गया है।

2.2 जिस हितग्राही की सामान्य मृत्यु थी, त्रुटिवश दुर्घटना मृत्यु में दर्ज हो गयी, अथवा दुर्घटना मृत्यु थी, त्रुटिवश सामान्य मृत्यु दर्ज हो गयी है।

2.3 हितग्राही का नामगलत दर्ज हो गया। उल्लेखनीय है कि नाम, पता, मोबाईल, नम्बर, सुधारके अधिकार पूर्व से ही विहित प्राधिकारी स्तर पर प्रदान किये गये है, अत: विहित प्राधिकारी स्तर पर सुधार कर, ईपीओ निरस्ती हेतु अपीलीय अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त, अपीलीय अधिकारी की अनुमोदित नोटशीट अपलोड किये जाने के उपरान्त ईपीओ निरस्त किया जा सकता है।

2.4 उत्तराधिकारी का खाता क्रमांक गलत दर्ज हो गया है।

2.5 गलत / त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकारी दर्ज हो गया है।

3. यह भी आवश्यक है कि बिना अपीलीय अधिकारी की सक्षम अनुमति के ईपीओ निरस्त /त्रुटि सुधार / विसंगति निराकरण किसी भी परिस्थिति में ना किया जाये, साथ ही सक्षम अनुमति की नोटशीट पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपलोड किये उक्त दस्तावेज समय-समय पर राज्य स्तर पर जांचे जा सकते है। त्रुटि पूर्ण अनुमति पायी जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी। यह व्यवस्था अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में डिजीटल साईन करने के पूर्व ही प्रकरण को निरस्त करने हेतु उपलब्ध करायी गई है। डिजीटल साईन के पश्चात प्रकरणों को निरस्त किया जाना संभव नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति / त्रुटि सुधार हेतु यदि राज्य स्तर पर कोई प्रकरण प्रेषित किया जाता है तो उस पर भी अपीलीय अधिकारी के सक्षम अनुमोदन पश्चात ही विचार किया जा सकेगा।

4. यह कि उपरोक्त त्रुटि सुधारों के अतिरिक्त भी पत्र क्रमांक 2180 दिनांक 27.03.2019 द्वारा अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरणों में जिनमें आधार की अनुपलब्धता हो, आधार शिथिलीकरण भी जिला कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं इस में तत्संबंध में पोर्टल पर "आधार की अनिवार्यता हटाये"आप्शन भी जिला कलेक्टर लॉगइन पर उपलब्ध है। (अनुलग्नक-4) उक्त आप्शन को क्लिक करने पर, श्रमिक संबल आई.डी.डालने पर उक्त श्रमिक व उसके परिवार का विवरण प्रदर्शित होगा,(अनुलग्नक-5)जिसमें से जिसे सहायता दी जा रही हो, उस श्रमिक /सदस्य की आधार अनिवार्यता शिथिल की जा सकेगी।

अत: कृपया उक्त व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराया जावे, जिससे हितग्राही को त्वरित लाभ प्राप्त हो सके।

(छोटे सिंह)
उपसचिव
म.प्र. शासन, श्रमविभाग

निरंतर....2/3

पृष्ठा. क्रमांक.1045/1518/2020/ए-16 भोपाल, दिनांक 26.11.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उपसचिव

म.प्र. शासन, श्रमविभाग

मध्यप्रदेश शासन

अनुलग्नक - 1

# संबल पोर्टल

## अनुग्रह सहायता योजना के लंबित प्रकरणो का पुन: सत्यापन की कार्यवाही ( समय सीमा- 31 जुलाई )

होम | डाऊनलोड | सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र | अपात्र रिपोर्ट | रिपोर्टस | आधार की अनिवार्यता हटाये | हितलाभ के आवेदन मे संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटाये

140820071019

### कृपया ध्यान दे

..पुन: सत्यापन हेतु प्रस्तावित प्रकरणो की सूची डाउन्लोड करें

. सभी प्रकरणो का सावधानी पूर्वक जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी / दल के द्वारा मौके पर जा कर सत्यापन किया जाना है.

. प्रकरण के पात्र पाये जाने की स्थिती में जांच प्रतिवेदन व अनुषंशा को 3 दिवस में पोर्टल पर दर्ज किया जाना है व कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति की स्केनेड प्रति भी पोर्टल पर 3 दिवस में अपल ाना है।

. प्रमाण पत्र, जांच प्रतिवेदन व अनुशंशा के पोर्टल पर अपलोड करने के अधिकार कलेक्टर कार्यालय को है, इस कार्य हेतु उन्हे विशेष यूसर नेम वा पासवर्ड उपलब्ध कराया जावेगा।

. प्रमाण पत्र, जांच प्रतिवेदन व अनुशंशा के पोर्टल पर अपलोड ना स्थिति में प्रकरण को स्वतः ही आपत्र माना जावेगा

. प्रमाण पत्र की स्केन्ड कॉपी कॉपी स्पष्ट व अच्छी होनी चाहिए जिसे आसानी से पड़ा जा सके। प्रमाण पत्र की स्केन्ड कॉपी स्पष्ट व अच्छी नहीं होने की स्थिति मे आवेदक प्रकरण किया जा सकता है।

होम | अपलोड | सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र | अपील रिपोर्ट | रेपोर्ट्स | आधार की अनिवार्यता हटाये | हितलाभ के आवेदन मे संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटाये

111120010541

अनुलग्नक - 2

श बना चुके प्रकरण को हटाये :

श्रमिक की नौ अंको की संदर्भ आईडी : * : Enter Digits Only

डाउनलोड सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र अपात्र रिपोर्ट रिपोर्ट्स आधार की अनिवार्यता हटाये हितलाभ के आवेदन मे संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटाये

0010541

अनुलग्नक - 3

चुके प्रकरण को हटाये :

श्रमिक की नौ अंको की संबल आईडी : * : श्रमिक खोजें

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला : | धार | जनपद : | जनपद पंचायत, उमरबन | ग्राम पंचायत : | झिर्वी |
| श्रमिक का नाम : | | जेंडर : | पुरुष | जन्म दिनांक : | 01/01/1984 |
| सर्वे दिनांक : | 03/04/2018 | मोबाइल नंबर: | | | |

| | Nominee Name | Nominee IFSC | Nominee Account No | Amount | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 400000 | |
| | | | | | |

रिमार्क :

नोटशीट अपलोड करें : Choose File No file chosen

Delete EPO And All Details Related to Benefit

मध्यप्रदेश शासन

# संबल पोर्टल

अनु.क्र.-4

अनुग्रह सहायता योजना के लंबित प्रकरणों का पुनः सत्यापन की कार्यवाही ( समय सीमा- 31 जुलाई )

होम | डाउनलोड | सत्यापन रिपोर्ट व प्रमाण पत्र | अपात्र रिपोर्ट | रिपोर्ट्स | आधार की अनिवार्यता हटाये | हितलाभ के आवेदन मे संशोधन हेतु ई-भुगतान आदेश हटाये

111120010538

## अंत्येष्टि सहायता हेतु दी गई राशि की प्रतिपूर्ति (क्लेम) हेतु प्रकरण दर्ज करने हेतु आधार की अनिवार्यता हटाये

श्रमिक की नौ अंको की संबल आईडी : * : Enter Digits Only

श्रमिक की नौ अंको की संबल आईडी पुनः प्रविष्ट करें : * : Enter Digits Only

श्रमिक खोजे

111120010538

अनुलग्नक - 5

## अंत्येष्टि सहायता हेतु दी गई राशि की प्रतिपूर्ति (क्लैम) हेतु प्रकरण दर्ज करने हेतु आधार की अनिवार्यता हटाये :

को की संबल आईडी . * :

श्रमिक की नौ अंको की संबल आईडी पुनः प्रविष्ट करें : * :

श्रमिक पोर्टल

श्रमिक का विवरण :

श्रमिक का आई.डी. :

मोबाइल नंबर :

जन्म दिनांक: 01/01/1977

जिला : धार

ग्राम पंचायत: किरणिया

श्रमिक का नाम :

लिंग : पुरूष

स्थाई पता :

जनपद पंचायत : जनपद पंचायत, धार

श्रमिक के परिवार के सदस्यों की सूची :

| Member ID | Member Name | DOB |
|---|---|---|
| | Somli Bai | 01/01/1976 |
| | Dtu Singh | 01/01/2000 |

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

658/7391/2020/ए-16
क्रमांक : ——/श्रम विभाग /2020 भोपाल, दिनांक 18/08/2020

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
4. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय: मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में संशोधन बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 589/पी.एस./श्रम/2018 भोपाल, दिनांक 29.05.2018 ।

2. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक/अशग्रा/स्था/2018/739-746 भोपाल, दिनांक 10.07.2018 ।

***

प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने तथा उनके हित संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से संचालित है। योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन में कठिनाईयाँ महसूस की गई हैं इन कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से तथा योजना को ओर अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु ज्ञापन क्रमांक 589/पी.एस./श्रम/2018 भोपाल, दिनांक 29.05.2018 में कंडिका 15 के बाद निम्नानुसार नई कंडिकाएं जोड़ी जाती हैं:-

16. *अपील एवं विसंगतियों (त्रुटियों) का निराकरण:-*

16.1 *हितलाभ:-* हितलाभ के ऐसे प्रकरण जिनमें हितग्राही का आवेदन निरस्त किया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों में हितग्राही अपना पक्ष समस्त साक्ष्यों सहित विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और विहित प्राधिकारी उस पर विचार कर और अन्य ऐसी जाँच कर जैसी वह आवश्यक समझे अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन निराकरण हेतु अपीलीय प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

16.2 विसंगति/त्रुटि सुधार:- हितग्राही को हितलाभ स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अथवा स्वीकृति के बाद वितरण के पूर्व यदि प्रकरण में पोर्टल पर आवश्यक प्रवृष्टियों में से किसी एक या एक से अधिक प्रवृष्टियों में कोई त्रुटि हुई है और उक्त त्रुटि/विसंगति के कारण हितग्राही को हितलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उक्त प्रकार की त्रुटियों/विसंगतियों के सुधार के लिये विहित प्राधिकारी प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं ऐसी जाँच करने के उपरान्त जैसी वह आवश्यक समझे, अपने अभिमत सहित प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

16.3 अपीलीय प्राधिकारी- जिला कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नामित अपर कलेक्टर होगा।

16.4 अपील प्राधिकारी उपरोक्त कंडिका 16.1 में वर्णित स्थितियों में विहित प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से 30 दिवस के भीतर विहित प्राधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अधार पर संतुष्ट होने की दशा में अपील स्वीकार कर सकेगा।



G:\Letters\Office Letters docx - 3 -

Scanned with CamScanner

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी 30 दिवस की कालावधि का अवसान होने पर भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति समय पर अपील दर्ज कराने से समुचित कारण से निवारित था।

16.5 अपील प्राधिकारी उपरोक्त कंडिका 16.2 में वर्णित स्थितियों में विहित प्राधिकारी द्वारा हितलाभ स्वीकृत प्रकरण में हुई त्रुटि/विसंगति की स्थिति में जानकारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर विहित प्राधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अधार पर संतुष्ट होने की दशा में त्रुटि/विसंगति के सुधार के बिन्दु पर विचारण हेतु अपील स्वीकार कर सकेगा।

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी 30 दिवस की कालावधि का अवसान होने पर भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति समय पर अपील दर्ज कराने से समुचित कारण से निवारित था।

16.6 अपीलीय प्राधिकारी, अपील प्रस्तुत होने/विहित प्राधिकारी का प्रस्ताव होने पर ऐसी जाँच व जानकारी अथवा दस्तावेज, जिसे वह उचित समझे प्राप्त करने के उपरांत संतुष्ट होने पर समुचित आदेश जारी करेगा। जिसमें वह अपील को स्वीकार कर सकेगा अथवा निरस्त कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश/त्रुटि/विसंगति सुधार की कार्यवाही अपील के विनिश्चियन के आधार पर संबल पोर्टल पर इस बाबत् एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए लॉगिन में की जायेगी। अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(उमाकान्त उमराव)
प्रमुख सचिव
म.प्र शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा.क्रमांक: 653/736/श्रम विभाग /2020/ए-16 भोपाल, दिनांक 18/08/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
9. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. सचिव, मध्यप्रदेश असंगिठत कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन,सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल को उपरोक्त कार्य पोर्टल पर संपादन किए जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. विभागीय रिकार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव
म.प्र शासन, श्रम विभाग



Scanned with CamScanner

कार्यालय उपश्रमायुक्त
म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल
'ई' ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल,
E-Mail:- uwwboard@mp.gov.in

क्रमांक/ 2180 /श्रमवि/2019/ भोपाल, दिनांक 27/3/19

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
मध्य प्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, 2018 के अन्तर्गत आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, 2018 के अन्तर्गत आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु प्रमुख सचिव, श्रम को प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में हिताधिकारियों को मिलने वाली सहायता राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है।

अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के प्रकरणों जिसमें हितग्राहियों के पास आधार कार्ड नहीं है, के संबंध में संबंधित कलेक्टर अपने- अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निर्णय लेने में सक्षम हैं। अतः बिना आधार कार्ड के प्रस्तुत प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु समस्त कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर वे अपने स्तर पर उचित निराकरण करें।

(प्रमुख सचिव, श्रम, महोदय द्वारा अनुमोदित)

27/3/19

(एस.एस.दीक्षित)
उपश्रमायुक्त, भोपाल

पृ. क्रमांक/ 2181-2184/श्रमवि/2019/ भोपाल, दिनांक 27.3.19

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

(एस.एस.दीक्षित)
उपश्रमायुक्त, भोपाल